न्यूज़ टुडे

केंद्रीय गृह मंत्री ने CBI द्वारा विकसित भारतपोल (BHARATPOL) पोर्टल का शुभारंभ किया

भारतपोल का शुभारंभ **भारत की कानून प्रवर्तन क्षमताओं, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अपराधों के नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण प्रगति** का प्रतिनिधित्व करता है।

- इस पोर्टल का प्रबंधन CBI द्वारा किया जाएगा। ऐसा इसलिए, क्योंकि CBI ही **भारत में इंटरपोल के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (NCB-नई दिल्ली)** के रूप में कार्य करती है।

भरतपोल के पांच प्रमुख मॉड्यूल

- **कनेक्ट:** सभी भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इंटरपोल के NCB-नई दिल्ली के विस्तार के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाता है।
- **इंटरपोल नोटिस:** भारत एवं विश्व में कहीं भी **अपराधियों को तेजी से लोकेट करने के लिए वैज्ञानिक आधार पर एक व्यवस्था** प्रदान करता है।
- **संदर्भ:** विदेशों में जांच के लिए **अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त करना और प्रदान करना** सरल बनाता है।
- **ब्रॉडकास्ट: 195 देशों से सहायता के लिए अनुरोध** ब्रॉडकास्ट के माध्यम से तुरंत उपलब्ध होंगे।
- **संसाधन: दस्तावेजों के आदान-प्रदान और प्रबंधन** तथा क्षमता निर्माण पहलों को सुगम बनाता है।

संभावित लाभ

- यह **अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक जांच अनुरोधों को संभालने के लिए एक एकीकृत मंच** के रूप में कार्य करेगा। साथ ही, **केंद्रीय, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग को बेहतर** बनाएगा।
- **अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के बढ़ते खतरे का समाधान करेगा:** अर्थात् साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी, मानव तस्करी और संगठित अपराध।
- **अपराध नियंत्रण:** इंटरपोल डेटाबेस तक पहुंच से अधिकारी डेटा का विश्लेषण करने, अपराध रोकथाम रणनीति विकसित करने और अपराधियों को अधिक प्रभावी ढंग से पकड़ने में सक्षम होंगे।
- इससे **सजायाफ्ता अपराधियों** की विदेशों से भारत में **प्रत्यर्पित करने की प्रक्रिया सरल** हो जाएगी।

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (इंटरपोल) के बारे में

- **स्थापना:** इसकी स्थापना 1923 में की गई थी। इंटरपोल **विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन** है।
- **मुख्यालय:** ल्योन (फ्रांस) में स्थित है।
- **सदस्य:** 196 देश।
- **उद्देश्य:** अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच वैश्विक सहयोग को सुगम बनाना।
- **प्रमुख कार्य:** रेड नोटिस जैसे अलर्ट जारी करना; आपराधिक गतिविधियों पर डेटाबेस बनाए रखना; सदस्य देशों को प्रशिक्षण, संसाधन आदि के साथ सहायता प्रदान करना।

इंडिया AI मिशन के तहत एक सलाहकार समूह ने AI गवर्नेंस दिशा-निर्देश विकास पर रिपोर्ट जारी की

प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता वाले सलाहकार समूह के मार्गदर्शन में **AI गवर्नेंस और दिशा-निर्देश विकास' पर एक उप-समिति** का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य **भारत में AI गवर्नेंस के लिए कार्रवाई योग्य सिफारिशें प्रदान** करना है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) गवर्नेंस के बारे में: AI गवर्नेंस में उन प्रक्रियाओं, मानकों और सुरक्षा उपायों को शामिल किया जाता है, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि AI प्रणालियां एवं साधन सुरक्षित व नैतिक रूप से काम करें। इससे मानवाधिकारों का सम्मान तथा निष्पक्षता बनी रहेगी।

इस रिपोर्ट द्वारा उजागर किए गए प्रमुख मुद्दे

- **डीपफेक और दुर्भावनापूर्ण कंटेंट:** इनसे निपटने के लिए कानूनी फ्रेमवर्क मौजूद हैं, लेकिन उन्हें प्रभावी रूप से लागू करने में आ रही बाधाओं के कारण AI जनित हानिकारक कंटेंट को हटाने में दिक्कत होती है।
- **साइबर सुरक्षा:** मौजूदा कानून AI से संबंधित साइबर अपराधों पर लागू होते हैं, लेकिन उभरते खतरों से निपटने के लिए उन्हें मजबूत और प्रासंगिक बनाने की आवश्यकता है।
- **बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR):** कॉपीराइट वाले डेटा का AI द्वारा उपयोग उल्लंघन और जवाबदेही संबंधी मुद्दों को जन्म देता है। ऐसा इस कारण, क्योंकि मौजूदा कानून AI जनित कंटेंट को पूरी तरह से कवर नहीं करते हैं।
- **AI आधारित पूर्वाग्रह और भेदभाव:** AI पूर्वाग्रहों को बढ़ावा दे सकता है, जिससे मौजूदा सुरक्षा उपायों के बावजूद भेदभाव का पता लगाना और उसका समाधान करना कठिन हो जाता है।

इस रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें:

- **अंतर-मंत्रालयी AI समन्वय समिति का गठन करना:** इसका उद्देश्य अलग-अलग मंत्रालयों एवं विनियामकों के बीच AI गवर्नेंस को लेकर समन्वय स्थापित करना होना चाहिए। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नीति आयोग, RBI, सेबी तथा अन्य क्षेत्रीय विनियामकों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
- **तकनीकी सचिवालय का गठन करना:** इसका गठन AI समन्वय समिति के लिए एक तकनीकी सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करने हेतु किया जाना चाहिए।
- **तकनीकी-कानूनी उपायों का लाभ उठाना:** डीपफेक से निपटने के लिए वॉटरमार्किंग और कंटेंट की उत्पत्ति जैसे तकनीकी समाधानों का उपयोग किया जाना चाहिए।
- **AI जनित घटनाओं का डेटाबेस निर्मित करना:** इसके तहत वास्तविक दशाओं के AI-संबंधित जोखिमों और नुकसानों का दस्तावेजीकरण करना चाहिए। इसके अलावा, सार्वजनिक व निजी दोनों क्षेत्रों से स्वैच्छिक रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करना चाहिए।

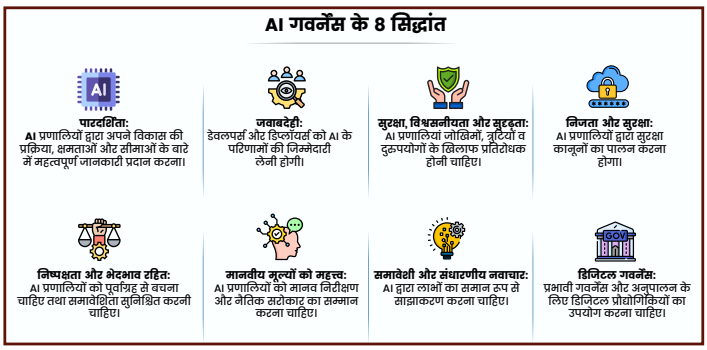

इंडिया AI मिशन के बारे में:

- इसे **2024 में 10,300 करोड़ रुपये** के बजट के साथ शुरू किया गया है।
- **उद्देश्य:** सात प्रमुख स्तंभों के माध्यम से एक मजबूत AI इकोसिस्टम बनाना। इन स्तंभों में **AI कंप्यूटर क्षमता, भविष्य संबंधी कौशल, सुरक्षित व विश्वसनीय AI, स्टार्ट-अप वित्त-पोषण** आदि शामिल हैं।
- इसका फोकस **AI की पहुंच को लोकतांत्रिक बनाना, डेटा की गुणवत्ता को सुधारना और नैतिक AI विकास** सुनिश्चित करना है।

विश्व के पहले क्रायो-बॉर्न बेबी प्रवाल (Corals) को सफलतापूर्वक ग्रेट बैरियर रीफ में शामिल किया गया

प्रवाल संरक्षण एवं पुनर्बहाली के संदर्भ में यह अभूतपूर्व उपलब्धि ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं के नेतृत्व में किया गया एक सहयोगात्मक प्रयास है।

क्रायो-बॉर्न कोरल के बारे में

- **क्रायो-बॉर्न कोरल:** इन्हें **क्रायोप्रिजर्वेशन** तकनीक का उपयोग करके विकसित किया जाता है। इसमें प्रवाल कोशिकाओं और ऊतकों को **बहुत कम तापमान पर फ्रीज** किया जाता है।
- **क्रायोप्रिजर्वेशन प्रोसेस**
  - **प्रवाल कोशिकाओं और ऊतकों में पानी भरा** होता है, जो फ्रीजिंग पर हानिकारक बर्फ के क्रिस्टल बनाता है।
  - **क्रायोप्रिजर्वेशन तकनीक** में फ्रीजिंग के दौरान कोशिकाओं से पानी निकालने और बर्फ के पिघलने पर प्रवाल की कोशिका संरचनाओं को सहारा देने के लिए **क्रायोप्रोटेक्टेंट्स का उपयोग** किया जाता है।

इस सफलता का महत्त्व

- **जलवायु परिवर्तन का सामना:** इस परियोजना का उद्देश्य **जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए प्रतिवर्ष अधिक तापमान को सहन करने में सक्षम लाखों प्रवालों को रीफ में जोड़ना** है।
- **चयनात्मक प्रजनन (Selective Breeding):**
  - प्रवाल की प्राकृतिक रूप से प्रजनन अवधि काफी लघु होती है। ये साल में केवल एक बार प्रजनन करते हैं। अतः क्रायोप्रिजर्वेशन का उपयोग करके प्रवाल के अंडाणु (अंडे) और शुक्राणु (स्पर्म) को संरक्षित किया जा सकता है, ताकि भविष्य में साल के किसी भी समय प्रवाल की पुनर्बहाली करने संबंधी प्रयासों में उनका उपयोग किया जा सके।
  - यह तकनीक शोधकर्ताओं के लिए **चयनात्मक प्रजनन और प्रजनन के लिए प्रवाल कॉलोनियों का कई बार उपयोग करना संभव** बनाती है।

प्रवाल भित्ति (Coral Reef) के बारे में

- प्रवाल **एंथोजोआ वर्ग** के अंतर्गत आने वाले **अकशेरुकी (बिना रीढ़ की हड्डी वाले)** जीव हैं। एंथोजोआ वर्ग **फाइलम नाइडेरिया** के तहत आता है।
- प्रवाल अत्यंत छोटे जीव होते हैं, जिन्हें **'पॉलीप्स'** कहा जाता है। ये पॉलीप्स **कॉलोनियों के माध्यम से भित्ति** का निर्माण करते हैं। ये पॉलीप्स **कैल्शियम कार्बोनेट (चूना पत्थर) से बने एक कठोर कंकाल रूपी संरचना** का निर्माण करते हैं। ये **पोषण के लिए सहजीवी शैवाल जूजैंथेले (zooxanthellae)** पर निर्भर रहते हैं।
- **वितरण:** मुख्य रूप से **30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश** के बीच उथले जल में पाए जाते हैं। 16°C से 32°C के बीच का तापमान प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए सर्वोत्तम होता है। इस कारण ये ऐसे जल में विकसित होती हैं, जहां सूर्य का पर्याप्त प्रकाश पहुंचता है।
- **गहराई:** प्रवाल भित्तियां आम तौर पर **50 मीटर से कम गहराई** पर विकसित होती हैं, जहां अधिक प्रकाश पहुंचता है।

प्रवाल भित्तियों के संरक्षण हेतु शुरू की गई पहलें:

- **भारत द्वारा शुरू की गई पहलें**
  - **आर्द्रभूमि, मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियों पर राष्ट्रीय समिति (1986):** यह समिति प्रवाल संरक्षण पर सलाह देती है।
  - **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (1986):** निर्माण कार्यों के लिए प्रवाल और रेत के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है।
  - **भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI):** प्रवाल भित्तियों की पुनर्स्थापना के लिए बायोरॉक या मिनरल एकरेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है।
- **वैश्विक स्तर पर शुरू की गई पहलें**
  - CITES ने प्रवालों के व्यापार को विनियमित करने के लिए **प्रवाल प्रजातियों को परिशिष्ट-II** में सूचीबद्ध किया है।
  - **विश्व धरोहर अभिसमय** प्रवाल भित्ति स्थलों को संरक्षण के लिए नामित करता है।
  - **विश्व का सबसे बड़ा फ्रोजन कोरल भंडार:** टारोंगा क्रायोडायवर्सिटी बैंक में 32 प्रवाल प्रजातियों के खरबों स्पर्म संग्रहित हैं, जिन्हें 2011 से प्रतिवर्ष एकत्र किया जा रहा है।

पोलर वोर्टेक्स के कारण अमेरिका में बहुत अधिक ठंड पड़ने लगी है

पोलर वॉर्टेक्स के दक्षिण दिशा में प्रसार के कारण आर्कटिक ब्लास्ट (Arctic Blast) हुआ है। इसके कारण **संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा** में अत्यधिक ठंड पड़ रही है।

पोलर वॉर्टेक्स या ध्रुवीय भंवर क्या है?

- **परिभाषा:** यह **पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के चारों ओर संचरण (वामावर्त/एंटीक्लॉक) करता निम्न दाब और ठंडी हवा** का एक विशाल क्षेत्र होता है।
- **इसके प्रकार:**
  - **क्षोभमंडलीय ध्रुवीय भंवर:** ये धरातल से **10-15 किमी की ऊंचाई पर वायुमंडल की सबसे निचली परत में निर्मित** होते हैं।
  - **समतापमंडलीय ध्रुवीय भंवर:** ये धरातल से लगभग **15 से 50 किमी की ऊंचाई** पर निर्मित होते हैं।
    - क्षोभमंडलीय ध्रुवीय भंवर के विपरीत, **समतापमंडलीय ध्रुवीय भंवर ग्रीष्मकाल के दौरान निर्मित नहीं** होते हैं और शरद ऋतु के दौरान ये अत्यधिक प्रचंड हो जाते हैं।

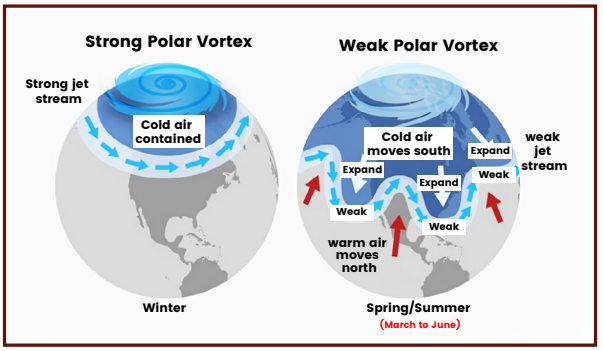

ध्रुवीय भंवर के प्रभाव

- **आर्कटिक ब्लास्ट:** ध्रुवीय भंवर में व्यवधान के कारण **अमेरिका में ठंडी हवा का अचानक और तीव्र प्रसार** होने लगता है। आमतौर पर ध्रुवीय भंवर **ठंडी हवा को आर्कटिक क्षेत्र तक ही सीमित** रखता है।
- **चरम मौसमी घटनाएं: कमजोर ध्रुवीय भंवर के कारण जेट स्ट्रीम दक्षिण की ओर सरक** सकती है। इससे आर्कटिक की ठंडी हवा का प्रसार निचले अक्षांशों तक हो जाता है। इसके कारण चरम मौसमी घटनाएं शुरू हो जाती हैं।
- **ओज़ोन क्षरण:** ध्रुवीय भंवर के भीतर मौजूद ठंडी हवा विशेष रूप से **अंटार्कटिका में ओज़ोन के क्षरण को तेज** करती है। इससे **ओज़ोन छिद्र** बन सकता है।
- **भारत पर प्रभाव: कमजोर ध्रुवीय भंवर** के परिणामस्वरूप **अधिक पश्चिमी विक्षोभ** उत्पन्न होते हैं। इससे **पश्चिमी हिमालय में भारी बर्फबारी** होती है और उत्तरी भारत में तापमान काफी गिर जाता है।

सुप्रीम कोर्ट (SC) ने केंद्रीय और राज्य सूचना आयोगों में रिक्तियों को समय पर भरने का निर्देश दिया

यह निर्देश **अंजलि भारद्वाज बनाम भारत संघ वाद** में दायर जनहित याचिका (PIL) के तहत दिया गया है। याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि **2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्देशों** के बावजूद, सूचना आयोगों में रिक्तियों को भरने में प्रगति नहीं हो रही है।

SC की मुख्य टिप्पणियां और निर्देश

- **केंद्रीय सूचना आयोग (CIC):** CIC में **एक मुख्य सूचना आयुक्त और 2 सूचना आयुक्त** कार्यरत हैं। हालांकि, CIC में **10 सूचना आयुक्त (IC)** के पद स्वीकृत हैं।
- **राज्य सूचना आयुक्त:** अधिकांश राज्यों ने राज्य सूचना आयोगों (SICs) के लिए चयन प्रक्रियाएं प्रारंभ कर दी हैं। हालांकि, नियुक्तियों को पूरा करने के लिए स्पष्ट समयसीमा का अभाव है।
- **नियुक्तियों में विविधता की आवश्यकता पर बल:** 2019 में अपने एक निर्णय में SC ने कहा था कि सूचना आयुक्तों (ICs) के पद पर केवल नौकरशाहों को ही नहीं, बल्कि जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को भी नियुक्त करना चाहिए।
- **SC के निर्देश:** शीर्ष न्यायालय ने केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों को निर्देश दिया था कि सूचना आयुक्तों के चयन को पूरा करने और उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी करने के लिए एक **विस्तृत समय-सीमा** प्रदान करनी चाहिए।

निष्क्रिय सूचना आयोगों के कारण उत्पन्न चिंताएं

- **सूचना आयोगों में रिक्तियों के कारण लंबित मामलों में वृद्धि:** उदाहरण के लिए, **पश्चिम बंगाल सूचना आयोग** की मौजूदा स्थिति के अनुसार, 2022 में दायर एक शिकायत को हल करने में 24 साल लग सकते हैं।
- **सक्रिय प्रकटीकरण में गिरावट:** कुल RTI आवेदनों का 44% ऐसे मामलों से संबंधित है, जिनकी जानकारी का RTI अधिनियम की **धारा 4** के तहत सक्रिय रूप से खुलासा किया जाना चाहिए था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ऐसे खुलासों में गिरावट दर्ज की गई है।
- **निष्क्रिय आयोग:** कुछ राज्य सूचना आयोग जैसे- त्रिपुरा और झारखंड के आयोग पूरी तरह से निष्क्रिय हैं। इन आयोगों की निष्क्रियता के कारण **लंबित मामलों** को नहीं निपटाया जा रहा है।

RTI से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय

- **पीपल्स यूनियन फॉर सिविल राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2004) वाद:** इस मामले में SC ने सूचना के अधिकार को संविधान के तहत **मौलिक अधिकार** के रूप में मान्यता दी थी। SC के इस निर्णय ने आगे RTI अधिनियम के लिए आधार का काम किया था।
- **सुभाष चंद्र अग्रवाल बनाम कार्मिक विभाग (2010) वाद:** इस वाद में शीर्ष न्यायालय ने सुस्पष्ट किया था कि **भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)** का कार्यालय भी **RTI अधिनियम** के अंतर्गत आता है।
- **नमित शर्मा बनाम भारत संघ (2012) वाद:** SC ने निर्णय दिया था कि सूचना आयोग एक न्यायालय के समान अर्ध-न्यायिक कार्यों वाले अधिकरण हैं।

हिमालयी क्षेत्र के तिब्बत में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया

हिमालय **दुनिया के भूगर्भीय रूप से सर्वाधिक सक्रिय क्षेत्रों** में से एक है। यहां कई बार अत्यंत प्रबल भूकंप आए हैं।

- **भारतीय मानक ब्यूरो** द्वारा तैयार **भारत के भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र के अनुसार** हिमालयी क्षेत्र मुख्य रूप से **भूकंपीय जोन IV और भूकंपीय जोन V** में आता है।
- इसमें **भारत को 4 भूकंपीय जोन्स (V, IV, III, और II) में विभाजित** किया गया है। इसमें से **जोन V सबसे अधिक सक्रिय, जबकि जोन II सबसे कम सक्रिय** जोन है।

हिमालयी क्षेत्र में बार-बार भूकंप क्यों आते हैं?

- **भारतीय और यूरेशियन प्लेट्स का टेक्टोनिक टकराव:** हिमालय भारतीय और यूरेशियन प्लेट्स की अभिसारी सीमा पर स्थित है। इस सीमा पर, भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है। इसके परिणामस्वरूप अत्यधिक दबाव उत्पन्न होता है, जो समय-समय पर भूकंप के रूप में प्रकट होता है।
- **सक्रिय भ्रंश रेखाएं:** इस क्षेत्र में अनेक भ्रंश प्रणालियां, जैसे **मुख्य केंद्रीय थ्रस्ट और मुख्य सीमा थ्रस्ट** आदि मौजूद हैं। अतः इन भ्रंशों के साथ अचानक भूगर्भीय हलचल के कारण भूकंप आते हैं।
- **युवा पर्वत श्रृंखला:** हिमालय **भूगर्भीय दृष्टि से युवा और संरचनात्मक रूप से अस्थिर है।** इससे भूकंपीय गतिविधियों की संभावना बढ़ जाती है।

हिमालयी क्षेत्र में भूकंप के कारण घटित होने वाली घटनाएं

- **भूस्खलन और हिमस्खलन:** खड़ी ढलानों के कारण भूस्खलन की घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिससे बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचता है और जान-माल की हानि होती है।
- **ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स (GLOFs):** भूकंप **हिमनदीय झीलों को अस्थिर** कर सकते हैं, जिससे विनाशकारी बाढ़ आ सकती है।
- **टेक्टोनिक उत्थान और भ्रंश:** भूभाग में **अचानक उत्थान और भ्रंश से पारिस्थितिकी-तंत्र एवं मानव बस्तियां** आदि प्रभावित होती हैं।
- **सांस्कृतिक विरासत का नुकसान:** इस क्षेत्र में प्राचीन मठ, मंदिर और सांस्कृतिक स्थल स्थित हैं, जिन्हें भूकंप के कारण नुकसान पहुंच सकता है।

आगे की राह

- **सख्त भवन निर्माण विनियम:** यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अवसंरचना को ऐसे डिजाइन किया जाए, जो प्रबल भूकंपों को भी सह सके।
- **क्षेत्रीय सहयोग:** भूकंप का सामना करने और उससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए हिमालयी क्षेत्र में स्थित देशों को ज्ञान, संसाधन एवं प्रौद्योगिकी साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
- **अन्य:** अग्रिम चेतावनी प्रणाली विकसित करना; भूकंप के दौरान और बाद में सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में जागरूकता बढ़ाना; अनुसंधान एवं जोखिम मानचित्रण आदि को बढ़ावा देना।

अन्य सुर्ख़ियां

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) बल

ITBP ने सुरक्षा और कार्रवाई संबंधी तत्परता बढ़ाने के लिए **33 सीमा चौकियों को भारत-चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब स्थानांतरित** कर दिया है।

ITBP के बारे में

- यह **गृह मंत्रालय** के अधीन कार्यरत एक **केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है।**
- **आदर्श वाक्य:** शौर्य-दृढ़ता-कर्मनिष्ठा।
- **उत्पत्ति:** इसे 1962 में चीनी आक्रमण के बाद **CRPF अधिनियम** के तहत स्थापित किया गया था। हालांकि, 1992 में संसद ने **ITBPF अधिनियम** पारित किया था।
- **इसके मुख्य कार्य:**
  - यह भारत-चीन सीमा की **3,488 किमी लंबी सीमा** की सुरक्षा करता है।
  - यह राष्ट्रीय महत्त्व की विभिन्न संस्थाओं को सुरक्षा प्रदान करता है, जिनमें **राष्ट्रपति भवन** भी शामिल है।
  - यह **हिमालयी क्षेत्र में प्राकृतिक विपदाओं से निपटने वाले प्रथम बल** के रूप में कार्य करता है।

भारत की तटरेखा की पुनर्गणना

भारत की तटरेखा की लंबाई 1970 में 7,516 किमी से बढ़ाकर 2023-24 में **11,098 किमी** कर दी गई है। यह पिछले 53 वर्षों में **48% की वृद्धि** को दर्शाता है।

- इस वृद्धि का कारण **राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक** द्वारा भारत के समुद्री क्षेत्र को मापने के लिए नई पद्धति का उपयोग किया जाना है।
  - यह पद्धति जटिल तटीय संरचनाओं जैसे खाड़ी, ज्वारनदमुख और निवेशिकाओं को भी मापती है, जबकि पुराने तरीकों में लम्बाई को सीधी रेखा में मापा जाता था।

मुख्य निष्कर्ष

- **पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि (357%)** दर्ज की गई, जबकि **केरल में सबसे कम वृद्धि (5%)** दर्ज की गई।
  - **पुडुचेरी की तटरेखा 4.9 किमी कम** हो गई है।
- गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य के रूप में अपना स्थान बरकरार रखे हुए है। इसके बाद **तमिलनाडु का स्थान है,** जिसने **आंध्र प्रदेश को पीछे छोड़** दिया है। **आंध्र प्रदेश अब तीसरे** स्थान पर है।

गरुड़ाक्षी (Garudakshi)

कर्नाटक ने वन्यजीव अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए '**गरुड़ाक्षी**' **ऑनलाइन FIR प्रणाली** शुरू की।

गरुड़ाक्षी के बारे में

- पुलिस विभाग की FIR प्रणाली के समान **ऑनलाइन FIR प्रणाली को सक्षम करने वाला सॉफ्टवेयर है।**
- इससे आम जनता मोबाइल फोन या ईमेल के माध्यम से वन अपराधों की शिकायत दर्ज करा सकेगी।
- इसे **भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट** के सहयोग से विकसित किया गया है।

अंजी खड्ड पुल

भारतीय रेलवे ने भारत के पहले केबल-स्टेड रेल पुल अंजी खड्ड पुल के पूरा होने के साथ ही एक महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग उपलब्धि हासिल की है।

अंजी खड्ड पुल: मुख्य विवरण

- **स्थान:** जम्मू और कश्मीर के **रियासी जिले** में स्थित **उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (USBRL) परियोजना** का हिस्सा है।
- **आयाम:**
  - **लंबाई:** 725.5 मीटर।
  - **ऊंचाई:** यह **अंजी नदी (चेनाब की एक सहायक नदी)** से 331 मीटर ऊपर है।
- **महत्त्व:**
  - **कटरा और कश्मीर घाटी** के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा।
  - इससे जम्मू-कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा मिलने और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

भाषिणी परियोजना

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री ने **ई-श्रम पोर्टल पर बहुभाषी कार्यक्षमता का शुभारंभ** किया है।

- **भाषिणी परियोजना के माध्यम से ई-श्रम पोर्टल को उन्नत** किया गया है। इससे अब यह पोर्टल **संविधान में अनुसूचित सभी 22 भाषाओं** में उपलब्ध होगा। पहले यह पोर्टल केवल **अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ और मराठी** में था।

भाषिणी परियोजना के बारे में

- इसे 2022 में शुरू किया गया था।
- **मंत्रालय: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)।**
- यह व्यापक **राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन (NLTM) का हिस्सा है।**
- यह एक ऐसा टूल है, जो **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)** की मदद से **भारतीय भाषाओं** का अनुवाद कर सकता है और कई भाषाओं में काम करने की सुविधा प्रदान करता है।
- **उद्देश्य:** भाषा संबंधी बाधाओं को समाप्त करना तथा नागरिकों को उनकी मूल भाषा में स्पीच व पाठ्य सामग्री और सेवाएं प्रदान करना।

ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट (GEAPP)

GEAPP और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) ने उच्च प्रभाव वाली सौर ऊर्जा परियोजनाओं के समर्थन हेतु **100 मिलियन डॉलर का कोष** स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

- **घोषित की गई अन्य पहलें:**
  - डिजिटलाइजेशन ऑफ यूटिलिटीज फॉर एनर्जी ट्रांजीशन (DUET);
  - एनर्जी ट्रांजीशंस इनोवेशन चैलेंज (ENTICE 2.0) आदि।

ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट (GEAPP) के बारे में

- GEAPP एक **वैश्विक व सार्वजनिक-निजी भागीदारी** वाली पहल है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों में स्वच्छ ऊर्जा ट्रांजिशन को तीव्र करना है।
- **इसके निम्नलिखित लक्ष्य हैं:**
  - **1 बिलियन लोगों** को ऊर्जा उपलब्ध कराना,
  - **150 मिलियन लोगों** को हरित रोजगार उपलब्ध कराना,
  - **4 बिलियन टन** उत्सर्जन से बचाव करना आदि।
- **फोकस क्षेत्र:** वितरित नवीकरणीय ऊर्जा समाधान, ऊर्जा संबंधी गरीबी (विद्युत तक पहुंच का अभाव) उन्मूलन, सतत विकास आदि।

कांडला बंदरगाह

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री ने कांडला बंदरगाह की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रमुख पहलों की घोषणा की।

कांडला बंदरगाह के बारे में

- **निर्माण:** इसे **1950 के दशक में कराची बंदरगाह** के प्रतिस्थापन के रूप में निर्मित किया गया था। ऐसा इस कारण, क्योंकि भारत के विभाजन के बाद कराची बंदरगाह पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था।
- **आधिकारिक नाम: दीनदयाल बंदरगाह। भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908** के तहत **2017 में इसका नाम बदल** दिया गया था।
- **स्थान:** यह **गुजरात के कच्छ** जिले में स्थित है।
- **महत्त्व:**
  - **कार्गो की मात्रा के हिसाब से पारादीप बंदरगाह** के बाद यह भारत का **दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह** है।
  - यह **उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत के राज्यों के लिए प्रवेश द्वार** के रूप में कार्य करता है।
  - इसमें **कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र (KASEZ)** स्थित है। इसकी स्थापना **1965 में भारत और एशिया के पहले SEZ** के रूप में की गई थी।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

घाना (राजधानी: अकरा)

जॉन महामा ने तीसरे कार्यकाल के लिए **घाना के राष्ट्रपति** के रूप में शपथ ली।

घाना के बारे में

- **भौगोलिक अवस्थिति:**
  - घाना **पश्चिमी अफ्रीका** का देश है। यह **गिनी की खाड़ी के तट** पर अवस्थित है।
    - 1957 में स्वतंत्रता से पहले इसे '**गोल्ड कोस्ट**' के नाम से जाना जाता था।
  - **स्थलीय सीमा:** इसके उत्तर में **बुर्किना फासो,** पूर्व में **टोगो** और पश्चिम में **कोटे डी आइवर** स्थित है।
  - **समुद्री सीमा:** इसकी समुद्री सीमा दक्षिण में **अटलांटिक महासागर** से लगती है। इसके **दक्षिण में गिनी की खाड़ी** स्थित है।
- **भौगोलिक विशेषताएं:**
  - **जलवायु:** यहां **उष्णकटिबंधीय प्रकार** की जलवायु पाई जाती है। घाना में **आर्द्र और शुष्क** दो प्रकार का मौसम पाया जाता है।
  - **सबसे ऊंची चोटी:** माउंट **अफादजा** (अक्वापिम-टोगो पर्वतमाला का हिस्सा)।
  - **प्रमुख नदियां:** वोल्टा, ब्लैक वोल्टा, व्हाइट वोल्टा, प्रा, तानो आदि।
  - **प्राकृतिक संसाधन:** यह **स्वर्ण और कोको** का विश्व में अग्रणी उत्पादक है।